89

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 1072–चार/2008 निगरानी – विरूद्व आदेश, दिनांक 25–6–2008 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 358/2007–08 निगरानी

1– हरीप्रसाद पुत्र राजमणि सोनी
2– रामचरण पुत्र शिवप्रसाद सोनी
3– रामलाल पुत्र शिप्रसाद सोनी
4– विहारीलाल पुत्र शिवप्रसाद सोनी
सभी ग्राम नाउनखुर्द तहसील हनुमना
जिला रीवा मध्य प्रदेश ––आवेदकगण

विरूद्व

1– धनपतप्रसाद 2– भैयालाल
3– मूलचन्द 4– संतोशकुमार
सभी पुत्रगण तेजमणि सोनी निवासी ग्राम
नाउनखुर्द तहसील हनुमना जिला रीवा ––––अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)

(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री डी0एस0चौहान)

आ दे श

(आज दिनांक 7–08–2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 358/2007–08 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 25–6–2008 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि व्यवहार न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 115 अ–80 में पारित आदेश दिनांक 24–2–87 के पालन में तहसीलदार हनुमना ने प्रकरण क्रमांक 73 अ–74/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 28–2–2006 नामान्तरण आदेश दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हुई। अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण क्रमांक 209/अ–74/2007–08 पुन0 में पारित आदेश दिनांक 11–1–2008 से तहसीलदार हनुमना का आदेश दिनांक 28–2–2006 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। अपर कलेक्टर रीवा के इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 358/2007–08 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 25–6–2008 से निगरानी स्वीकार कर अपर कलेक्टर रीवा का आदेश दिनांक 11–1–2008 निरस्त कर दिया। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष क अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि तहसीलदार हनुमना ने माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 24–2–87 के पालन में आदेश दिनांक 28–2–2006 पारित किया है। राजस्व अधिकारी जब व्यवहार न्यायालय की

डिक्री/आदेश के पालन में आदेश देता है तब राजस्व अधिकारी के पालन आदेश के विरूद्ध अपील न होकर व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील होगी, जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 358/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 25-6-2008 में निकाले गये निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 358/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 25-6-2008 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर